

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स.क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	तहसील कार्यालय	चालू खसरा/ खतौनी/ नक्शों की प्रतिलिपि प्रदान किया जाना (अ) सामान्य (ब) तत्काल (निर्धारित फीस अदायगी)	15 कार्य दिवस 5 कार्य दिवस	तहसीलदार तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर कलेक्टर
2.	जिला कार्यालय	राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के अंतर्गत प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंग हानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	कमिश्नर	सचिव राजस्व
3.	तहसील कार्यालय	(अ) शोध क्षमता प्रमाण पत्र का प्रदाय (5.00 लाख तक)	30 कार्य दिवस	तहसीलदार /नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
	अनुभाग कार्यालय	(ब) शोध क्षमता प्रमाण पत्र का प्रदाय (25.00 लाख तक)	45 कार्य दिवस	अनुविभागी य अधिकारी	कलेक्टर	कमिश्नर
	जिला कार्यालय	(स) 25.00 लाख से उपर	45 कार्य दिवस	कलेक्टर	कमिश्नर	सचिव राजस्व
4.	पटवारी कार्यालय	किसान पुस्तिका	15 कार्य दिवस	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
5.	तहसील कार्यालय	किसान पुस्तिका डुप्लीकेट	90 कार्य दिवस	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर

P.T.O

17

63. (16)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

6.	पटवारी कार्यालय	22 बिन्दु प्रतिवेदन का प्रदाय (किसी भी प्रकार की भूमि के लिये)	7 कार्य दिवस	पटवारी	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
----	-----------------	--	--------------	--------	--------------------	---------

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. निहालानी, उप-सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक  
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 मई 2013—ज्येष्ठ 7, शक 1935

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-124/सात-3/2011/दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 के संलग्न अनुसूची के सरल क्रमांक-06 के नीचे निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/अधिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	तहसील कार्यालय	अस्थाई जाति प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर
8.	तहसील कार्यालय	स्थाई जाति प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर	कमिश्नर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	तहसील कार्यालय	निवास प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर
10.	तहसील कार्यालय	आय प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रपण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि.से. भित्ताई, दिनांक 30-05-2001 ”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 फरवरी 2016— माघ 14, शक 1937

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में -

सरल क्रमांक 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
11	तहसील कार्यालय	धारा 59 के अन्तर्गत पुनर्निर्धारण आवासीय क्षेत्र/ आवासीय कॉलोनी/ परियोजना	30 कार्य दिवस	तहसीलदार	तहसीलदार/ अधीक्षक भू-अभिलेख	अनुविभागीय अधिकारी
	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी	धारा 59 के अन्तर्गत पुनर्निर्धारण आवासीय क्षेत्र/ आवासीय कॉलोनी/ सार्वजनिक परियोजना/ संस्थागत परियोजना	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर

1	2	3	4	5	6	7
	कार्यालय कलेक्टर	धारा 59 के अन्तर्गत पुनर्निर्धारण आवासीय क्षेत्र/ आवासीय कॉलोनी/ सार्वजनिक परियोजना/ संस्थागत परियोजना, चिकित्सा सेवायें वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजना	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	कलेक्टर	अपरमन्

No. F-4-124/7-3/2011.— In exercise of the powers conferred by Section 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification No. F-4-124/7-3/2011, dated 16th December, 2011, namely :-

#### AMENDMENT

In the Schedule of said notification,-

After serial number 10 and entries relating thereto, the following shall be added: namely :-

S. No.	Name of Office/ Body/ Agency	Services to be provided for	Time Period of providing Services (working day)	Designated Officer providing Service (post)	Competent Officer	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6	7
11	Tehsil Office	Rescheduling under Section 59 Residential Area/ Residential Colony/ Project	30 Working Days	Tehsildar	Tehsildar/ Superintendent Land-Records	Sub Divisional Officer
	Office of Sub Divisional Officer	Rescheduling under Section 59 Residential Area/ Residential Colony/ Public Project/ Institutional Project	30 Working Days	Sub Divisional Officer (Revenue)	Sub Divisional Officer (Revenue)	Collector
	Office of Collector	Rescheduling under Section 59 Residential Area/ Residential Colony/ Public Project/ Institutional Project/ Medical Services/ Commercial and Industrial Projects	30 Working Days	Collector	Collector	Commissioner

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. निहालानी, संयुक्त सचिव

"विजयेश मोरार के अन्तर्गत जयक युवा के जयक युवालय ( विजय जयक युवा ) के अन्तर्गत लेखक अन्तर्गत क्रमांक जी 2-22-उत्तरीसगढ़ पञ्जाब / 38 वि. से विजय, विनांक 30-05-2011."



पंजीयन क्रमांक  
"उत्तरीसगढ़/पुर्ण/09/2013-2015"

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 मई 2016 — जोड़ 4, शक 1938

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 मई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में विमल्लिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

सरल क्रमांक 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, विमल्लिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	कार्यालय/ विकास/ अधिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जायी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"12.	तहसील कार्यालय	भूमि का सीमांकन	3 माह	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुनिभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर
13.	तहसील कार्यालय	(अ) अविवादित नामांतरण	3 माह	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुनिभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर
		(ब) अविवादित नामांतरण	3 माह	ग्राम पंचायत	तहसीलदार	अनुनिभागीय अधिकारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	तहसील कार्यालय	(अ) अविवादित बंटवारा	3 माह	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी	कलेक्टर
		(ब) अविवादित बंटवारा	3 माह	ग्राम पंचायत	तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी”

No. F-4-124/7-3/2011. — In exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Seva Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification No. F-4-124/7-3/2011, dated 16th December, 2011, namely :-

#### AMENDMENT

In the Schedule of said notification.-

After serial number 11 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

S. No.	Name of Office/ Body/ Agency	Services to be provided for Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011	Time Period of providing Services (working day)	Designated Officer providing Service (post)	Competent Officer	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	Tehsil Office	Demarcation of land	3 Month	Tehsildar/ Additional Tehsildar/ Naib Tehsildar	Sub Divisional Officer (Revenue)	Collector
13.	Tehsil Office	(a) Undisputed Mutation	3 Month	Tehsildar/ Additional Tehsildar/ Naib Tehsildar	Sub Divisional Officer (Revenue)	Collector
		(b) Undisputed Mutation	3 Month	Gram Panchayat	Tehsildar	Sub Divisional Officer
14.	Tehsil Office	(a) Undisputed division	3 Month	Tehsildar	Sub Divisional Officer	Collector
		(b) Undisputed division	3 Month	Gram Panchayat	Tehsildar	Sub Divisional Officer”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.



**छत्तीसगढ़ शासन**  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

:: अधिसूचना ::

नया रायपुर, दिनांक 30 JAN 2016 / / 2016

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-


संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

सरल क्रमांक 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

स.क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी हैं	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
"11	तहसील कार्यालय	धारा 59 के अन्तर्गत पुनर्निर्धारण आवासीय क्षेत्र/ आवासीय कॉलोनी/ परियोजना	30 कार्य दिवस	तहसीलदार	तहसीलदार/ अधीक्षक भू-अभिलेख	अनुविभागीय अधिकारी
	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी	धारा 59 के अन्तर्गत पुनर्निर्धारण आवासीय क्षेत्र/ आवासीय कॉलोनी/ सार्वजनिक परियोजना/ संस्थागत परियोजना	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर
	कार्यालय कलेक्टर	धारा 59 के अन्तर्गत पुनर्निर्धारण आवासीय क्षेत्र/ आवासीय कॉलोनी/ सार्वजनिक परियोजना/ संस्थागत परियोजना, चिकित्सा सेवायें, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजना	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	कलेक्टर	आयुक्त

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(  )  
( पी. निहोलीनी )

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

**Government of Chhattisgarh**  
**Revenue & Disaster Management Department**  
**Mantralaya**  
**Mahanadi Bhawan, Naya Raipur**

**NOTIFICATION**

New Raipur, Date: **30, JAN 2016**  
/2016

No. F-4-124/7-3/2011 - In exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification No. F-4-124/7-3/2011, dated 16th December, 2011, namely:-

**AMENDMENT**

In the Schedule of said notification,-

After serial number 10 and entries relating thereto, the following shall be added; namely:-

S.No.	Name of Office/ Body/ Agency	Services to be provided for Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act,2011	Time Period of providing Services (working day)	Designated Officer providing Service (post)	Competent Officer	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6	7
"11	Tehsil Office	<u>Rescheduling under Section 59</u> Residential area/ Residential Colony/ Project	30 Working Days	Tehsildar	Tehsildar/ Superintendent Land- Records	Sub Divisional Officer
	Office of Sub Divisional Officer	<u>Rescheduling under Section 59</u> Residential area/ Residential Colony/ Public Project/ Institutional Project	30 Working Days	Sub Divisional Officer (Revenue)	Sub Divisional Officer (Revenue)	Collector
	Office of Collector	<u>Rescheduling under Section 59</u> Residential area/ Residential Colony/ Public Project/ Institutional Project, Medical Services, Commercial and Industrial projects	30 Working Days	Collector	Collector	Commissioner"

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh,

(P.Nihalani)

Joint Secretary

Government of Chhattisgarh  
Revenue & Disaster Management Department



“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/मुर्दा/09/2013-2015.”

## छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 285 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 जून 2020 — आपाढ़ 3, शक 1942

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011.- छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

सरल क्रमांक 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
15	कार्यालय कलेक्टर	नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफुट तक भूमि का आवंटन	120 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागायुक्त	सचिव, राजस्व
16	कार्यालय कलेक्टर	नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफुट तक अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन	120 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागायुक्त	सचिव, राजस्व
17	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी	व्यपवर्तन प्रकरणों का निराकरण (5000 वर्गफुट तथा 5000 वर्गफुट से अधिक)	90 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर	संभागायुक्त

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम.डी. दीवान, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 24th June 2020

## NOTIFICATION

No. F-4-124/7-3/2011. — In exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification No. F-4-124/7-3/2011, dated 16th December, 2011, namely :-

## AMENDMENT

In the Schedule of said notification,-

After serial number 14 and entries relating thereto, the following shall be added; namely :-

S. No.	Name of Office/Body /Agency	Services to be provided for Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011	Time Period of providing Services (Working day)	Designated Officer providing Service (post)	Competent Officer	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6	7
15	Office of Collector	Allotment of land upto 7500 sqft in Urban areas	120 Working Days	Collector	Commissioner	Secretary Revenue
16	Office of Collector	Settlement of Encroached land upto 7500 sqft in Urban areas	120 Working Days	Collector	Commissioner	Secretary Revenue
17	Office of Sub Divisional Officer	Disposal of Diversion Cases (5000 sqft and more than 5000 sqft)	90 Working Days	Sub Divisional Officer (Revenue)	Collector	Commissioner"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
M.D. DIWAN, Joint Secretary.